रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227416
CG-DL-E-08062021-227416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943
No. 315] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

सा.का.नि. 393(अ).—केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 144 (अ) तारीख 2 मार्च, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 2 मार्च, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः विचार किया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (बारहवा संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 126ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"126घ. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अठ्ठारह मास के पश्चात् नियम 126 में निर्दिष्ट समय-समय पर यथासंशोधित परीक्षण अभिकरण एआईएस-017-भाग6:2020 संपूर्ण यान सुरक्षा उत्पादन की पुष्टि (डब्ल्यूवीएससीओपी) परीक्षणों का संचालन उसमें अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उक्त तारीख को और उसके पश्चात् विनिर्मित या आयातित यानों पर जिन्हें विनिर्माता के संयंत्र या आयातक के परिसर से लिया जाएगा ताकि यह सत्यापन किया जा सके कि क्या ये यान उन नियमों के अनुरूप हैं जिनके अधीन उनका नियम 126 के अधीन किस्मानुमोदन किया गया है :

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 126 के अनुसार किस्म अनुमोदन अपेक्षाओं या उत्पादन अपेक्षाओं की पुष्टि से छूट प्राप्त यानों को लागू नहीं होगी ।";

3. उक्त नियमों के नियम 126क में, "जांच भी संचालित करेगा" शब्दों के स्थान पर, "टेल पाइप उत्सर्जन जांच भी संचालित करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11036/18/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं, 343(अ), तारीख 25.05.2021 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2021

G.S.R. 393(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R 144(E), dated the 2nd March, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to the public;

And, whereas, the copies of the said Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 2nd March, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 126C, the following rule shall be inserted, namely: -

"126D. After Eighteen months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the testing agencies referred to in rule 126, shall conduct Whole Vehicle Safety Conformity of Production (WVSCoP) tests as specified in AIS-017-Part 6:2020, as amended from time to time, in accordance with the procedures laid down therein, on vehicles, manufactured or imported on and after the said date drawn from the manufacturer's plant(s) or the importer's premise(s), to verify whether these vehicles conform to the rules to which they have been type approved under rule 126:

Provided that nothing in this rule shall apply to the vehicles exempted by the Central Government from type approval requirements as per rule 126 or conformity of production requirements.";

3. In the said rules, in rule 126A, for the words, "also conduct tests", the words, "also conduct tailpipe emission tests" shall be substituted.

[F. No. RT-11036/18/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 590(E) dated the 2nd June,1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 343(E), dated the 25th May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.06.08 22:55:51 +05'30'